संख्याः 271 /एक-10-2019-12(34)/03 टीसी-।

प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊःदिनांकः 02 जुलाई जून, 2019

विषयः-वर्ष 2019-20 से शीतलहरी/ठण्ड/पाला के दौरान निराश्रित/असहाय/कमजोर/गरीब व्यक्तियों/परिवारों को राहत पहुचाने हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक-08.04.2015 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु मदों की सूची एवं मानक दरों का निर्धारण करते हुए विस्तृत गाईड लाईन जारी की गयी है। भारत सरकार के उक्त गाइडलाइन की व्यवस्था के क्रम में प्रदेश में निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जनपद स्तर पर कम्बल वितरित किये जाते हैं।

2- शीतलहरी/ठण्ड/पाला के दौरान पूर्व में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की दर/मानक/गुणवत्ता शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें कम्बल की अधिकतम दर रू0-500/- प्रति कम्बल, कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम तथा ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत निर्धारित है।

3- वर्ष 2018-19 में सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेंसी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, यूपीका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गॉधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश सं0-8/2016/548/18-1-2016-12(एस0पी0)/2010, दिनांक-12-08-2016 में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि के क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

4- सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक-12-08-2016 के प्रस्तर-2 में क्रय करने की अवधि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 31.03.2019 तक के लिये निर्धारित की गयी थी। उक्त अवधि समाप्त हो गयी है। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि गत वर्ष सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के उक्त शासनादेश द्वारा अनिवार्य की गयी संस्थाओं द्वारा जनपदों में आपूर्ति की गयी कम्बलों की कम गुणवत्ता प्रकाश में आये थे एवं कम्बलों की दरों में असमानता रही तथा कतिपय संस्थाओं द्वारा समय से कम्बल की आपूर्ति भी नहीं की गयी।

5- सूच्य है कि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017 -97(ल0उ0)/2016, दिनांक-23-08-2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम की व्यवस्था लागू की गयी है। जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु शासनादेश संख्या-540/18-2

-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25.08.2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-32/2018/सी0एम0-40/18-2 -2018-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 27.09.2018 द्वारा जेम पोर्टल से आवश्यक सामग्री/सेवाएं क्रय किये जाने एवं जेम पोर्टल पर शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

6- वर्णित स्थिति में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जेम पोर्टल से सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक-23-08-2017 एवं इस संबंध में निर्गत अन्य शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थानुसार वर्ष 2019-20 में कम्बलों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाये। इस हेतु आपसे कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में निम्नवत समय सारणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाना अपेक्षित हैं:-

क्रमांक	कम्बल क्रय के संबंध जनपदों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	नियत तिथि
1	जेम पोर्टल पर क्रेता के रूप में रजिस्ट्रेशन	15-07-2019 तक
2	तहसीलों से कम्बलों की मांग प्राप्त किया जाना	31-07-2019 तक
3	पोर्टल पर कम्बल की बुकिंग	31-08-2019 तक
4	मांग के अनुसार कम्बलों का स्टाक जनपद मुख्यालय पर आरक्षित किया जाना एवं एक सैम्पल शासन को उपलब्ध कराया जाना	30-09-2019 तक
5	कम्बल हेतु धनराशि की मांग	31-10-2019 तक
6	शासन द्वारा धनराशि की स्वीकृति	15-11-2019 तक
7	प्रभावित व्यक्तियों को कम्बल का वितरण प्रारम्भ	30-11-2019 से

7- जनपद द्वारा समस्त वित्तीय नियमों का पालन करते हुए उक्त सारणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा जेम पोर्टल से कम्बल क्रय किये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का निम्नानुसार गठन भी किया जायेगा:-

1. जिलाधिकारी - अध्यक्ष
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), - सदस्य सचिव
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी - सदस्य
4. उद्योग विभाग का 01 प्रतिनिधि - सदस्य
5. एन0आई0सी0 का 01 प्रतिनिधि - सदस्य

उक्त समिति कम्बलों की आपूर्ति हेतु एक गुणवत्ता परक-तंत्र विकसित करेगी तथा जेम पोर्टल से कम्बल क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार गठित समिति की संस्तुति के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। निर्धारित मानक के अनुसार कम्बलों की आपूर्ति करने में असफल होने पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध समिति नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

8- सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश सं0-8/2016/548/18-1-2016-12(एस0पी0)/2010, दिनांक-12-08-2016 में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, यूपीका, उ0प्र0 खादी एवं

ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गाँधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयां जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर कम्बल की आपूर्ति में प्रतिभाग कर सकती है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्ष 2019-20 में शीतलहरी/पाला/ठण्ड से उत्पन्न होनी वाली समस्याओं से निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु कम्बल वितरित किये जाने हेतु सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक-12-08-2016 में उल्लिखित इकाइयों/संस्थाओं के स्थान पर जेम पोर्टल के माध्यम से उपरोक्तानुसार कम्बल क्रय किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

26/6

(जी0एस0 प्रियदर्शी),
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त।

संख्या- (1)/एक-10-2019-33(34)/03 टीसी-I, दिनांकः 03 ~~जून~~ जुलाई, 2019

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यूपी.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
10- गार्ड फाइल।

26.5.19

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान),
विशेष सचिव।